मलवा निस्तारण से संबन्धित प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर,डोड़हर,अधौरा,मिटिहिनी,खैरी,सिरसोती,झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया । उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ़०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया ।

उक्त 744 हे०. वन भूमि के संबंध मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ज़ोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ़०नं० 8-412/1989-एफ़०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम मे दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन मे एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग मे लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है तथा (744-555.759)=188.241 हे० वन भूमि वन विभाग को वापस किया जाना है । इस संबंध मे एनटीपीसी रिहंद द्वार यह वचन दिया जाता है की परियोजना द्वारा अवशेष मलवा वन भूमि मे नहीं डाला जाएगा । निर्माण एवं संचालन आदि से उत्पन्न कचरा का निस्तारण परियोजना क्षेत्र मे ही किया जाएगा।

एनटीपीसी /रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से

अजीत कुमार
08.02.21

(अजीत कुमार)
वरि०प्रबन्धक (मा०सं०)

अजीत कुमार / AJEET KUMAR
वरि० प्रबन्धक (मानव संसाधन) / Sr. Manager(H.R.)
एनटीपीसी–रिहंद/NTPC-Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223